(10)

संख्या– 496 /उन्तीस(2)/11–2(04पे0)/2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 19 अप्रैल, 2011

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना (सामान्य) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 449/215–रा0यो0आ0/वा0जि0यो0/2011–12 दिनांक 06.04.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजना (सामान्य) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तराखण्ड जल संस्थान हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार जनपदवार कुल ₹ 3173.68 लाख (₹ इक्तीस करोड़ तिहत्तर लाख अडसठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0सं0	**जनपद**	**अनुमोदित परिव्यय**	**स्वीकृत की जा रही धनराशि**
01	**02**	**03**	**04**
01	नैनीताल	256.50	256.50
02	ऊधमसिंहनगर	259.55	259.55
03	अल्मोड़ा	370.00	370.00
04	पिथौरागढ़	290.00	290.00
05	बागेश्वर	155.85	155.85
06	चम्पावत	273.00	273.00
07	देहरादून	290.00	290.00
08	पौड़ी	361.00	361.00
09	टिहरी	297.50	297.50
10	चमोली	105.70	105.70
11	उत्तरकाशी	289.10	289.10
12	रूद्रप्रयाग	120.48	120.48
13	हरिद्वार	105.00	105.00
	योग :–	**3173.68**	**3173.68**

2– जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार आहरण के पूर्व जनपदवार जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं के अनुरूप ही किया जायेगा। परिव्यय से अधिक धनराशि के आहरण का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का ही माना जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार किश्तों में पूर्व स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग अथवा 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका है, वे आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते है।

4– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा

5– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या –ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगी। इसका कृपया कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणनों में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

6– स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यो पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जायेगा।

8– जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0सी0 तथा पी0सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

9– स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है।

10– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैंण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11– स्वीकृत धनराशि से वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हों तथा जिला अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग करके इसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति एंव उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

13– ₹ 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर से जारी की जायेगी तथा ₹ 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जारी की जायेगी। स्वीकृतियों के प्रस्ताव जनपद/मण्डल स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर अर्थ एंव संख्या विभाग के जनपद/मण्डलय कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेगे, जो इन प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

......................3

14– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक–2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–91–जिला योजना–02–ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार–20–सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

15– यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.2008 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27.03.2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या–496(i)/उन्तीस(2)/11–2(04पे0)/2011, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढवाल/कुँमाऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड ।
4. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून।
5. प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, गढ़वाल/कुमॉऊ।
7. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग/बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल/कुमॉऊ।
10. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड
11. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त अधिशासी अभियन्ता, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
13. निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक निदेशालय, देहरादून।
14. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
15. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव